न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
263 / 2024	03.06.2024	28.11.2024

उनवान

1. कन्हैया लाल उर्फ काना धोबी पुत्र श्री मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी जवाहरनगर भीलवाडा।

-- प्रार्थी

बनाम

1. भंवर पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी निवासी पासंल भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

-- विपक्षीगण

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से प्रताप तेली
2. विपक्षी संख्या 01 उपस्थित।
3. विपक्षी संख्या 02 की और से पैराकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता स्व मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी की मृत्य हो गयी थी एवं प्रार्थी उनके विधिक वारिसान होकर राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करवाने के लिए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के पिता स्व. श्री मांगू उर्फ मांगी लाल धोबी के नाम ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2073–2076 (2023–2024) आराजी नम्बर 1317, 15, 2041, 2051, 2084, 2090, 2092, 2094 व खाता संख्या नया 1032, पुराना 905 है, कुल किता 08 कुल रकबा 1.7324 हैक्टयर भूमि है, जो प्रार्थी व विपक्षी सं. 01 संयुक्त स्वामित्व की होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उक्त आरायाजित में मुझ प्रार्थी के माता गट्टू पत्नी श्री मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी का देहान्त हो चुका है। उक्त आराजी में अब मे प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 के ही शेष विधिक वारिसान है। प्रार्थी के स्वर्गीय पिता मांगु उर्फ मांगीलाल का इन्तकाल होने के बाद वारिसान के आधार पर उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी के नाम कन्हैयालाल धोबी के स्थान पर काना के नाम में त्रूटिवश दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल धोबी दर्ज किया जाना था। प्रार्थी को अपने घर पर, गांव में रिश्तेदारी व परिवारजन में कन्हैयालाल धोबी के नाम से जाना एवं पहचाना जाता है इस कारण प्रार्थी के नाम में दुरूस्ति किया जाकर सही नाम कन्हैयालाल धोबी पुत्र मांगू उर्फ मांगीलाल संशोधन करते हुए अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

प्रार्थी के नाम कन्हैयालाल धोबी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे नाम काना अंकित है उक्त त्रुटिवश अंकित हुए नाम के कारण प्रार्थी को राजस्व खाते में व अन्य संबंधित दस्तावेजी कार्यवाहीयां आदि कराने में परेशानीयां एवं रूकावट उत्पन्न हो गई है, जिसके निराकरण का अन्य कोई विकल्प प्रार्थी के पास नहीं है। ऐसी सूरत में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम में आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

संशोधन करते हुए सही नाम कन्हैया लाल पुत्र मांगु उर्फ मांगीलाल संशोधन करते हुए अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त संशोधन प्रार्थनापत्र पेश करना इसलिए आवश्यक हुआ है कि प्रार्थी के पहचान संबंधी दस्तावेज एवं प्रार्थी के कन्हैया लाल धोबी के नाम से जाना पहचाना जाता है जिसके साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र संलग्न है। उक्त संशोधन किए जाने हेतु प्रार्थी ने विपक्षी सं. 02 से दिनांक 01/05/2024 को निवेदन किया परन्तु संशोधन करने से इन्कार कर देने एवं वल्दियत संशोधन कराने बाबत बता देने से उक्त प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कारण उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2073–2076 (2023–2024) आराजी नम्बर 1317, 15, 2041, 2051, 2084, 2090, 2092, 2094 वं खाता संख्या नया 1032, पुराना 905 है. कुल किता 08 कुल रकबा 1.7324 हैक्टयर भूमि में दर्ज प्रार्थी के नाम काना के बजाय आवश्यक संशोधन करते हुए कन्हैयालाल धोबी अंकित कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.06.2024 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है :– प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 01 का तथ्य अंकित है जो स्वीकार है, प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 02 में जो तथ्य अंकित है जो हमारे पिता स्व. श्री मांगू उर्फ मांगी लाल धोबी के नाम ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2073–2076 (2023–2024) आराजी नम्बर 1317, 15, 2041, 2051, 2084, 2090, 2092, 2094 व खाता संख्या नया 1032 पुराना 905 है, कुल किता 08 कुल रकबा 1.7324 हैक्टयर भूमि है, जो प्रार्थी व विपक्षी सं. 01 संयुक्त स्वामित्व की होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो स्वीकार है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 03 में जो तथ्य अंकित है आरायाजित मे प्रार्थी की माता गट्टू पत्नी श्री मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी का देहान्त हो चुका है जो सही होकर स्वीकार है।

प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 04 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता मांगु उर्फ मांगीलाल का देहान्त होने के बाद वारिसान के आधार पर उक्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी के नाम कन्हैयालाल धोबी पुत्र श्री मांगीलाल धोबी उर्फ मांगू धोबी के स्थान पर काना त्रुटिवश दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल धोबी पुत्र श्री मांगू उर्फ मांगीलाल दर्ज किया जाना था।

प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 दोनो सगे भाई है हमारे पिताजी के देहान्त होने के बाद उसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है प्रार्थी के नाम कन्हैयालाल धोबी उर्फ काना पुत्र श्री मांगीलाल उर्फ मांगू राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है तो है तो मुझ कोई आपत्ति नहीं है। इसमें मेरी सहमति है। हमारे अन्य राजस्व जमाबन्दी ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 12,18,19,20 है। जिसमें प्रार्थी व विपक्षी के पिताजी का नाम मांगीलाल दर्ज है जो सही है। इसलिये प्रार्थी का नाम राजस्व रिकाई में काना उर्फ कन्हैया लाल धोबी पुत्र श्री मांगू उर्फ मांगीलाल को दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 पैरोकार सरकार का जवाब पत्रांक 2998 दिनांक 28.11.2024 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम पांसल की वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 1032 मे प्रार्थी का नाम काना पुत्र मांगु हिस्सा 1/3 जाति धोबी सा0देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। खातेदार प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड में कन्हैयालाल धोबी पिता मांगीलाल दर्ज है जबकि बैंक डायरी व जमाबन्दी में काना पिता मांगु दर्ज है। प्रार्थी खातेदार द्वारा पेश ग्राम पंचायत पांसल के लेटर पेड अनुसार पंचायत ने काना उर्फ कन्हैयालाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल एक ही व्यक्ति होना बताया है। संलग्न मौका पर्चा में ग्राम के मौतबिरान ने बताया की काना उर्फ पिता मांगू ही कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जाति धोबी है अर्थात् काना उर्फ कन्हैयालाल पिता मांगीलाल एक ही व्यक्ति है जिसको काना व कन्हैयालाल दोनों नामों से जाना जाता है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। पटवारी हल्का पांसल की रिपोर्ट एवं मौका पर्चा दिनांक 21.11.2024 के अनुसार काना पिता मांगु धोबी प्रार्थी का बोलता नाम है जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता मांगीलाल जाति धोबी के रूप में दर्ज है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम पांसल पटवार हल्का पांसल प्रथम, तहसील व जिला भीलवाड़ा में सम्वत् 2073–2076 (2023–2024) आराजी नम्बर 1317, 15, 2041, 2051, 2084, 2090, 2092, 2094 व खाता संख्या नया 1032, पुराना 905 है, कुल किता 08 कुल रकबा 1.7324 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का नाम काना उर्फ कन्हैयालाल पिता मांगु उर्फ मांगीलाल धोबी इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा